5. अर्न्तवैयक्तिक कौशल एवं सामाजिक विकास (Interpersonal Skills and Social Development)

सामाजिक विकास से तात्पर्य बालक में समाज के अनुरूप अपने व्यवहार को ढालने की क्षमता उत्पन्न करने से है। यद्धपि बालक का सामाजिक विकास शैशवावस्था से प्रारम्भ होकर सम्पूर्ण बाल्यावस्था तक चलता रहता है एवं यौवनारम्भ में अस्थायी रूप से रुक जाता है, तथापि इस दौरान किशोर को सर्वाधिक सामाजिक समायोजन करने पड़ते हैं। किशोर को समाज के आदर्शों व मूल्यों को समझने के साथ–साथ समाज के विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों, विचारों और भावनाओं को समझना तथा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन सीखना भी आवश्यक है। एक किशोर समाज में तभी सम्मान प्राप्त कर सकता है जब उसका व्यवहार समाज के आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप हो तथा साथ ही साथ उसका व्यवहार भी समायोजित हो। समायोजित व समाज की प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करने के लिये किशोर में **अर्न्तवैयक्तिक कौशल** एवं **सामाजिक परिपक्वता** का होना आवश्यक है।

अर्न्तवैयक्तिक कौशल :

किशोरावस्था में जन्मजात सम्बन्धों (माता–पिता, भाई–बहन) के अतिरिक्त कुछ नये सम्बन्धों की शुरूआत भी होती है। ये सम्बन्ध कई बार भावनाओं की हद को पार कर जाते है और कई बार वे समझ भी नहीं पाते और सम्बन्ध टूट जाते हैं। किशोरावस्था में आपसी सम्बन्ध भावनाओ से अधिक जुड़े होते हैं तथा उनके व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। अतः यह ज़रूरी है कि किशोर–किशोरियों में आपसी सम्बन्धों के बारे में अपनी भूमिका की सही सोच विकसित हो तथा उसके अनुरूप व्यवहार करने का कौशल विकसित हो। किशोरावस्था में अनेक लोगों के साथ जो सम्बन्ध विकसित होते हैं उन सम्बन्धो की गहनता, उनके कारण, उनके पीछे निहित भावना, अपेक्षा आदि को समझने का कौशल भी विकसित करना ज़रूरी है।

मज़बूत व स्नेही रिश्ते किशोरों को समग्र विकास की क्षमता प्रदान करते हैं। किशोरो का माता–पिता, भाई–बहन, मित्रों और अध्यापको से निकटता का सम्बन्ध होता है। इन सम्बन्धों में कुछ के साथ वे अधिक निकटता महसूस करते है और उनसे जुड़े रहना चाहते है। उनके साथ किशोरों की सोच सकारात्मक होती है। यह घनिष्ठता सुखदायी और नई स्फूर्ति का संचार करने वाली होती है। कभी–कभी विशेष परिस्थितियों में ये सम्बन्ध दुःखदायी और ठेस पहुँचाने वाले भी हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, माता–पिता, भाई–बहन, मित्र और अध्यापक से जहाँ एक ओर सद्भावपूर्ण दृष्टिकोण होता है वहीं दूसरी ओर कई व्यक्तिगत, पारिवारिक व बाह्य कारको के कारण सम्बन्धों में बाधा आ जाती है। सम्बन्धों में सहयोग, समर्पण, प्रेरणा, प्रतियोगिता, सीख के साथ कई बार धोखा, छल और पछतावा भी देखने को मिल सकता है। अतः सम्बन्धो का मूल्यांकन, विश्लेषण और तर्क की कसौटी पर परखने की योग्यता होनी चाहिए।

किशोरो को सम्बन्धों की जटिलता के साथ–साथ उन्हें सुखद कैसे बनाया जाये, मज़बूत अर्न्तवैयक्तिक सम्बन्धो का आधार क्या है आदि का ज्ञान होना चाहिये। सम्बन्धो की मज़बूती के लिये जिम्मेदारियों

को स्वीकार करने, दूसरो के लिए सोचने, दूसरो को ध्यान से सुनने, आलोचना और शिकायत न करने, लोगों को उनके नज़रिये से समझने, धीरज रखने, दूसरों में कमियाँ होने के बावजूद उन्हें स्वीकार करने, खुले दिमाग से सभी स्थितियों को समझने और सही अर्थ निकालने में कौशल विकसित करना आवश्यक है। इस अवस्था में सामजिक विकास को निम्न बिन्दुओं द्वारा समझ सकते हैं :

1. सामाजिक व्यवहार :

बालक जैसे–जैसे बड़ा होता है वैसे–वैसे उसका सामजिक दायरा विशाल होता जाता है, और उसके व्यक्तित्व निर्माण में घर के बाहर के समाज का हाथ उत्तरोत्तर महत्त्वपूर्ण होता जाता है। बालक की रुचियाँ और अनुभव विशाल हो जाते हैं। अब वह कई समूहों से संबंध रखता है जिनके सदस्य प्रायः अलग–अलग और विविध रुचियों व दृष्टिकोणों वाले होते हैं। बड़े पैमाने पर सामाजिक सम्पर्क रखने से **नवकिशोर** अपने क्रिया–कलापों को व्यवस्थित करना, नेताओं को चुनना, छोटे पैमाने पर युवाओं की तरह व्यवहार करना, विषम लिंगियों के साथ व्यवहार रखना, वार्तालाप करना, नृत्य करना व सामाजिक स्वीकृत तरीके से व्यवहार करना सीख जाते हैं।

नवकिशोर में यौवनारम्भ काल में पाई जाने वाली नकारात्मक अभिवृत्तियों (Negative attitude) का स्थान विधानात्मक या सकारात्मक अभिवृत्तियाँ (Positive attitude) जैसे दुर्बल के प्रति सहानुभूति, समाज प्रियता, सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी, दूसरों को सुधारने की इच्छा, व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठा आदि लेने लगती हैं। उसका व्यवहार बातूनी, कोलाहलपूर्ण व बेधड़क होने के बजाय मर्यादित व संयत हो जाता है। **बड़े किशोरों** में नवकिशोर की भाँति सामाजिक परिपाटियों का अंधानुसरण करने की जगह स्वाग्रहिता आ जाती हैं। उसके अन्दर यह इच्छा जाग्रत होती है कि उसे एक अलग व्यक्ति माना जाये और समूह का अनुमोदन प्राप्त हो। अब वह ध्यानाकर्षण के सूक्ष्म तरीके अपनाता है जैसे– नवीनतम व सुन्दरतम ढंग के कपड़े पहनना, नये लगने वाले विचार प्रकट करना, मनोरंजक कहानियाँ सुनाना आदि। इस अवस्था में सामाजिक भेदभाव अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। किशोर–किशोरी दोनों ही उन लोगों से भेदभाव रखते हैं जिन्हें वे जाति, रंग, धर्म, सामाजिक, आर्थिक स्थिति या बौद्धिक क्षमता में अपने से हीन समझते हैं। इनके साथ वे जान बूझ कर अशिष्ट व्यवहार करते हैं। किशोरावस्था के अंत तक यह असहिष्णुता (Intolerance) स्वतः ही घट जाती है तथा अब किशोर सामाजिक परिस्थितियों से अच्छा समायोजन कर लेता है और पहले की अपेक्षा बहुत कम लड़ता–झगड़ता है।

2. समूह निर्माण :

यौवनारम्भ काल में जैसे–जैसे नवकिशोर की रुचियाँ बाल्यावस्था के दौड़– भाग के खेलों से हटकर किशोरावस्था के कम दौड़–भाग वाले व अधिक औपचारिक सामाजिक क्रिया–कलापों में होती जाती है वैसे–वैसे बाल्यावस्था की टोलियाँ टूटती जाती हैं व इनका स्थान नये सामाजिक समूह ले लेते हैं। नवकिशोरों में अधिक चुनाव करने की व बाल्यावस्था की अपेक्षा कम मित्र बनाने की प्रवृत्ति रहती है। किशोरों के समूह बड़े और ढ़ीले–ढ़ाले तथा किशोरियों के छोटे एवं ठोस होते हैं।

किशोरों के सबसे घनिष्ठ और सबसे अच्छे मित्र उनके सखा होते हैं। सखा प्रायः समान लिंग के होते हैं, जिनकी रुचियाँ व योग्यताए समान होती हैं। इनका संबंध इतना घनिष्ठ व संतोषप्रद होता है कि उनका एक दूसरे पर अत्यधिक प्रभाव होता है। कभी–कभार मतभेद या झगड़े होने पर भी ये बंधन बहुत पक्का होता है व लड़ाई–झगड़े शीघ्र ही सुलटा लिये जाते हैं। तीन या चार घनिष्ठ मित्र मिलकर छोटे–छोटे अंतरंग समूह मंडली (Cliques) बनाते हैं। इनमें सखाओं के कुछ जोड़े भी हो सकते

हें। मंडली के सदस्यों की रुचियों व योग्यताओं में बहुत साम्य होता है। इनके क्रिया कलापों में सिनेमा देखना, खेलकूद की प्रतियोगिताएँ देखना, साथ–साथ पढ़ना, पार्टियों में जाना, बातचीत करना, अलग होने पर टेलीफोन पर बातचीत करना इत्यादि बातें सम्मिलित होती हैं।

बड़े किशोरों के सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र अर्थात् सखा संख्या में कम होते हैं तथा वे अपना अधिकांश समय उन्हीं के साथ बिताते हैं। इनके सामाजिक जीवन में सखाओं तथा विषमलिंगीय मित्रों से बनी मंडलियों का अधिक महत्त्व होता है। किशोरों का सबसे बड़ा समूह भीड़ है जो कई मंडलियों के मेल से बना बड़ा और ढ़ीला–ढ़ाला सा समूह है। भीड़ के सदस्यों की रुचियाँ व सामजिक– आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है। भीड़ के क्रिया–कलाप प्रधानतः सामाजिक होते हैं। इनकी मुख्य रुचियाँ बातचीत, खेल, नृत्य व खाने–पीने में होती हैं। इनके सदस्यों के बीच सामाजिक दूरी होती है। भीड़ का सदस्य बनने से किशोर को सुरक्षा की भावना प्राप्त होती है। उसे लोगों के साथ सफलतापूर्वक निभा सकने का अमूल्य अनुभव प्राप्त होता है। विविध सामाजिक कौशल सीखने का अवसर मिलता है तथा विपरीत लिंग वालों से सामाजिक रूप से स्वीकृत परिस्थितियों में मिलने और उन्हें जानने का अवसर मिलता है। दूसरी तरफ किशोर के भीड़ के जीवन में अत्यधिक लीन हो जाने से वह अपने घर, स्कूल व समाज के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व भूल जाता है।

कभी–कभी कुछ किशोर–किशोरियों का संबंध भीड़ से नहीं होता है व न ही उनके घनिष्ठ मित्र होते हैं। ऐसे किशोरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर स्कूल, चर्च व सामाजिक संस्थाए युवक समूह (Youth club) स्थापित करती हैं। ये समूह निश्चित आयु सीमा के उन किशोर–किशोरियों के लिये खुले हैं जो उनमें प्रवेश की इच्छा रखते हैं। ये संगठित समूह इन किशोरों को सामजिक जीवन बिताने के अवसर प्रदान करते हैं। जो किशोर स्कूलों में अच्छा समायोजन नहीं कर पाते और जिनके मित्र उनके सहपाठियों में कम होते हैं; वे ऐसे ही कुछ अन्य किशोरों के साथ टोली (gang) बनाकर गलियों में चक्कर काटने में समय बिताते हैं। इन किशोरों की अधिकांश टोलियाँ समाज के लिये हानिकारक कामों में अपना समय बिताती हैं एवं समाज से या उनसे जिन्होंने उन्हें नहीं अपनाया, बदला लेने की कोशिश करती हैं। ये किशोर असामाजिक तत्वों का रूप लेकर समाज के स्वरूप को विकृत करते हैं।

3. किशोरावस्था की मित्रता :

किशोरावस्था तक आते–आते बालकों में मित्रों का चुनाव करने की प्रवृत्ति बलवती हो जाती है। किशोर मित्र के रूप में उन्हीं व्यक्तियों को अपनाते हैं :

- जो उनके समवयस्क हों।
- जिनकी पसंद व तौर तरीके उनके अनुरूप हों।
- जिनके अन्दर उनकी पसंद के व्यक्तित्व वाले लक्षण हों।
- जो उन्हें समझते–बूझते हों।
- जो उनके समान सामाजिक–आर्थिक स्थिति के हों।
- जो उनके आदर्शों व मूल्यों के अनुरूप हों।
- जिनसे उन्हें सुरक्षा की भावना मिलती हो।

नवकिशोर अनुभव हीनता के कारण, विशेष रुप से विषम लिंगीय मित्रों के चुनाव में बहुधा ऐसे मित्र

चुन बैठता है जो प्रारम्भ में तो उसके अनुकूल स्वभाव के लगते हैं किन्तु कालांतर में उसके मानकों के अनुरूप सिद्ध नहीं होते। फलतः झगड़ा हो जाता है व मित्रता असमय ही टूट जाती है। **उत्तर किशोरावस्था** में मित्रों की संख्या का कम महत्त्व होता है व उनके उपयुक्त होने का अधिक। अतः बड़े किशोर के मित्र कम होते हैं व परिचित अधिक। आमतौर पर बड़े किशोर के मित्र समुदाय के भिन्न–भिन्न हिस्सों में रहते हैं या भिन्न समुदायों में भी रहते हैं, किन्तु उसके सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र वे ही होते हैं जो उसके काफी निकट रहते हैं, जिनसे वह बार–बार मुलाकात कर सकता है, और समय–असमय उनका सहयोग प्राप्त कर सकता है।

किशोरावस्था के अंत तक लड़के और लड़कियाँ दोनों ही समलिंगीय मित्रों की अपेक्षा विषमलिंगीय मित्रों के साथ अधिक समय बिताने लगते हैं व उनमें अधिक दिलचस्पी दिखाते हैं। इस अवस्था के अंत तक लड़के और लड़कियाँ दोनों ही इस बात के निश्चित मानक बना लेते हैं कि उनके विषम लिंगीय मित्र को कैसा होना चाहिये? लड़के हास परिहास की मनोवृत्ति वाली तथा साहसी लड़कियों को पसंद करते हैं तो लड़कियाँ सदैव लड़कों को पौरुष युक्त, साफ–सुथरा और परिहास वृत्ति वाला होना पसंद करती हैं।

नवकिशोर–किशोरियों द्वारा अन्य लोगों की मौजूदगी में हाजिर जवाबी, वाक्–युद्ध, छेड़–छाड़, ऊपरी झगड़ा करना, एक दूसरे को खींचना आदि एक दूसरे में रुचि प्रदशित करने के परोक्ष तरीके अपनाये जाते हैं। किशोर–किशोरियों के इस प्रारम्भिक प्रेम को वयस्क प्रायः हंसी में उड़ा देते हैं व इस तरफ विशेष ध्यान नहीं देते। जबकि किशोर इन परिस्थितियों में स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं तथा बहुधा शांत और व्यवहार कुशल होने का बहाना करके अपनी परेशानी छुपाने का प्रयास करते हैं। विषमलिंगियों में रुचि पैदा होने के साथ ही सदैव उनका अपनी ओर ध्यानाकर्षण करने की भी इच्छा होती है जिसके लिये विविध उपाय अपनाये जाते हैं जैसे– आडम्बरपूर्ण हाव–भाव और भाषा, असाधारण पोशाक, बाल संवारने का असाधारण ढंग, अपने प्रिय के प्रति उदासीनता दिखाना व धृष्टता का व्यवहार करना तथा अन्य को दुलारना आदि।

पूर्व किशोरावस्था के अंत तक लड़के–लड़कियों के अस्थायी जोड़े बन जाते हैं। अब इनमें नायक–पूजा, प्यार व दीवानेपन की जगह रुमानी आसक्ति आ जाती है, फलतः **बड़े किशोरों** की सामूहिक क्रियाकलापों में रुचि समाप्त हो जाती है तथा वह अपने साथी के साथ अकेले रहना अधिक पसंद करता है।

हमारी संस्कृति में जीवन साथी के चुनाव का विशेषाधिकार माता–पिता व युवक को प्राप्त है, अतः लड़कियों पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वे स्वयं को इतना आकर्षक बनाएं कि उनका चुनाव स्वतः ही हो जाये। आजकल के नवयुवक सुखद और प्रसन्न व्यक्तित्व, स्वच्छता, विश्वसनीयता, दूसरों का ध्यान रखने के गुण व अच्छी आकृति को अधिक महत्त्व देते हैं जबकि लड़कियाँ अच्छे तौर–तरीकों वाले, स्वच्छ रहने वाले, आकर्षक व उपयुक्त कपड़े पहनने वाले निर्भीक वाक्पटु नवयुवकों को पसंद करती हैं। किशोरावस्था की प्रगति के साथ–साथ प्रेम, प्रणय–याचना और विवाह में रुचि पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है। किशोर–किशोरियों में आपस में मिलने–जुलने की प्रवृत्ति व व्यवहार सामाजिक वातावरण के अनुरूप ही होती है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति में किशोर–किशोरियों के मेलमिलाप को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, अतएव इसका प्रचलन भी बहुत कम है।

4. विपरीत लिंग में रूचि :

बाल्यावस्था में लैंगिक रुचियाँ अधिकतर शारीरिक भिन्नताओं पर केन्द्रित होती हैं। जैसे–जैसे यौवनारम्भ के समय लैंगिक क्षमताओं का विकास होता जाता है वैसे–वैसे किशोर की विषमलिंगियों के प्रति रुचि का स्वरूप भी बदल जाता है। किशोरावस्था के प्रारम्भिक दिनों में जाग्रत रुचियों का स्वरूप प्रणयात्मक होता है। उसके साथ–साथ उसमें विषमलिगियों के द्वारा पसंद किये जाने की भी प्रबल इच्छा रहती है। विषमलिंगियों में किशोर की रुचि पर उसके मित्रों की रुचि का भी बहुत प्रभाव पड़ता है।

यौवनारम्भ काल में विषमलिंगियों के प्रति लाक्षणिक रुप से द्वेष का भाव होता है जो बदलते–बदलते प्रेम का रूप ले लेता है। इस संक्रमण काल में शुरू–शुरू में लड़के–लड़कियाँ दोनों अपने ही लिंग के अपने से कुछ बड़े व्यक्ति से स्नेह करने लगते हैं एवं तत्पश्चात् अपने से बड़े विषमलिंगीय व्यक्ति से स्नेह करने लगते हैं। यह विषमलिंगीय व्यक्ति कोई भी हो सकता है, चाहे वह शिक्षक हो, बड़ा खिलाड़ी हो, संगीतज्ञ हो, अभिनेता/अभिनेत्री हो, अपने ही परिवार का कोई सदस्य या पारिवारिक मित्र हो। किशोर उसे नायक–नायिका की भांति पूजता है एवं उसका अनुसरण करने की प्रबल इच्छा रखता है।

धीरे–धीरे पूर्व किशोरावस्था की समाप्ति के पहले ही बड़ी आयु के विषम– लिंगियों में इनकी रुचि नष्ट हो जाती है एवं उसकी जगह अपनी आयु के आस–पास की आयु वाले विषमलिंगीय व्यक्तियो में रुचि हो जाती है। प्रारम्भ में लड़कियाँ बिना किसी भेदभाव के ऐसे किसी भी लड़के को पसंद करने लगती है जो उनकी तरफ थोड़ा भी आकर्षित होता है जबकि लड़के किसी खास लड़की की बजाय विविध खूबसूरत लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं।

चौदह वर्ष की आयु तक लड़कियाँ सामान्यतः अपनी आयु के लड़कों में निश्चित रूप से रुचि लेने लगती हैं, जबकि लड़के अभी भी लड़कियों की उपस्थिति में झेंपते है। वे संकोच करते हैं, हालांकि वे लड़कियों में थोड़ी बहुत रुचि दर्शाते हैं किन्तु ऊपरी द्वेषभाव काफी अंश तक बना रहता है।

5. नेता :

नेता बनने के लिये किशोर के अन्दर ऐसे गुण होने चाहिये जो समूह के सदस्यों के गुणों से श्रेष्ठ हों और उनके द्वारा सराहे जाते हों। नवकिशोरों का लाक्षणिक नेता अपनी आयु, शीघ्र परिपाक या प्रशिक्षण के कारण औसत से कुछ ऊँची बुद्धिवाला, औसत से ऊँची शैक्षणिक उपलब्धि वाला और परिपक्वता के औसत से ऊँचे स्तर वाला होता है। उसमें विश्वसनीयता, निष्ठा, बहिर्मुखता (Extrovert), अत्यधिक रुचियाँ, आत्म विश्वास, शीघ्र निर्णय लेने की शक्ति, सजीवता, अच्छा खिलाड़ी होना, समाज प्रियता, परिहास प्रियता, धीरता, मौलिकता, कार्य कुशलता, अनुकूलन क्षमता, चातुर्य, सहिष्णुता, सहयोगात्मक रवैया आदि गुण पाये जाते हैं। बाल्यावस्था में नेता बनते और मिटते रहते हैं, किन्तु किशोरावस्था में ऐसा नहीं होता। जो **बड़ा किशोर** कॉलेज की पहली कक्षा में नेता बन जाता है, इसके अपने सम्पूर्ण कॉलेज जीवन में नेता बने रहने की अधिक संभावना रहती है। चौदह–पन्द्रह वर्ष की आयु तक लड़कियाँ नेता के रूप में लड़कों को चुनना पसंद करती हैं जबकि लड़के अपने नेता के रूप में लड़के को ही चुनते हैं। अतः दोनों ही लिंगों से संबंधित क्रिया कलापों में नेता बहुधा लड़के ही होते हैं। किशोर नेता विविध प्रकार के सामाजिक कार्यों में सक्रिय भाग लेते हैं अतः उनके अन्दर सामाजिक सूझ–बूझ आ जाती है तथा वे समूह की इच्छाओं से समायोजन का महत्त्व समझ लेते हैं।

6. सामाजिक स्वीकार्यता :

नवकिशोर की सबसे बड़ी इच्छा यह होती है कि वह अपने समवयस्कों में लोकप्रिय हो और उनके द्वारा अपनाया जाये। अलग–अलग किशोरों को सामाजिक स्वीकार्यता अलग–अलग मिलती है। उच्च प्रतिष्ठित किशोर जैसे – 'सितारें' को स्वीकरण अधिक मिलता है, कम प्रतिष्ठित किशोर को कम स्वीकरण मिलता है एवं एकाकी किशोर को सामाजिक स्वीकरण बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। अधिकतर किशोरों को अपने बारे में दूसरों की भावनाओं का विविध संकेतों से पता चल जाता है; जैसे – मंडली या भीड़ द्वारा अपनाया जाना, उनके प्रति दूसरों का बर्ताव, उनके प्रयत्नों का सराहा जाना, उनकी गलतियों को क्षमा कर दिया जाना, पार्टी या सामूहिक क्रिया कलापों में उन्हें आमंत्रित करना आदि। समाज में अपनाया जा सकने वाला किशोर फुर्तीला, सामाजिक व्यवहार में आक्रामक और बर्हिमुखी होता है। वह स्वेच्छा से दूसरों को सहयोग देता है, शिष्टता का व्यवहार करता है, सबका ख्याल रखता है व समूह का नेतृत्व ग्रहण करता है। उसका आचरण सत्यनिष्ठ, निष्कपट एवं संयमित होता है। नवकिशोर को अपने साथियों में जितनी लोकप्रियता मिलती है उतनी ही उसकी अपने परिवार के प्रति स्नेह व मैत्री की भावनाएँ होती हैं। उन्हें अपने परिवार के कामों के साथ–साथ घर के बाहर के क्रियाकलापों में भी भाग लेने की अनुमति मिलती है। लोकप्रिय किशोर को सुरक्षा और प्रसन्नता की अनुभूति होती है तथा वह अपने भविष्य के बारे में आशावान और अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त हो जाता है। छोटे किशोर की भांति बड़ा किशोर भी सुखी व समायोजित तभी होता है जब उसे उचित मात्रा में सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। **बड़े किशोर** स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज, प्रशिक्षण–शाला या नौकरी आदि में प्रवेश करते हैं जहाँ उन्हें अपरिचित लोगों के समूह से संबंधित होना होता है। अपरिचित समूह के द्वारा उन्हें अपनाया जाना बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि समूह ने उनके प्रति क्या धारणा बना रखी है। यदि धारणा अनुकूल होती है तो किशोर को अपनाये जाने की संभावनाएँ तथा योग्यताएँ बढ़ जाती हैं व प्रतिकूल धारणा होने पर उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। समूह द्वारा बनाई गई प्रारम्भिक धारणाएँ कई बातों पर निर्भर करती हैं जैसे – व्यक्ति की शक्ल–सूरत, उसका पहनावा व चाल–ढाल से प्रकट होने वाली सामाजिक–आर्थिक स्थिति, उसका व्यवहार व साहचर्य इत्यादि।

किशोरावस्था की समाप्ति तक किशोर अपनी नई स्थिति को सफलता के साथ संभालने के लिये **सामाजिक रूप से परिपक्व** हो जाते हैं। अब वे समूह के सदस्य के नाते अपने उचित स्थान और कार्य का ज्ञान रखते हैं। जो किशोर सामाजिक परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं और युवा जीवन से समायोजन करने के लिये तैयार रहते है, उनकी परिवार पर निर्भरता कम हो जाती है अर्थात् वे स्वयं निर्णय कर सकते हैं, अपने परिवार का और अपना भरण पोषण कर सकते हैं। ऐसे किशोर अपने परिवार वालों से मित्रवत् व्यवहार करते हैं। परिवार के सदस्यों के प्रति स्नेह, निष्ठा, विचारशीलता और सम्मान प्रकट करते हैं। अपने नागरिक कर्त्तव्यों को स्वीकार करते हैं व उन्हें निष्ठा के साथ पूरा करते हैं। वे धर्म, जाति या रंग के आधार पर किसी के प्रति पूर्वाग्रह न रखते हुए सभी तरह के लोगों से अच्छा समायोजन कर लेते हैं। अपने मित्रों को उनके मौलिक स्वरूप में अपनाते हैं तथा उन्हें बदलने का प्रयास नहीं करते। मित्रों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं तथा समय–समय पर उन्हें यथासंभव आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। अब किशोर इतना आत्मनिर्भर होता है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जो उसका परिवार, मित्रों या परिचितों के साथ रहना असंभव कर दें, में भी वह प्रसन्न रह सकता है।

किशोरावस्था में होने वाला सामाजिक विकास यदि व्यवस्थित रूप से होता है तो ऐसे किशोर भविष्य

में अच्छे समाज का निर्माण करते हैं।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु :

1. बालक में समाज के अनुरूप अपने व्यवहार को ढ़ालने की क्षमता उत्पन्न करना सामाजिक विकास कहलाता है।
2. नवकिशोर, बड़े पैमाने पर सामाजिक सम्पर्क रखने से अपने क्रिया कलापों को व्यवस्थित करने व सामाजिक स्वीकृत तरीके से व्यवहार करना सीख जाते हैं।
3. नवकिशोर में यौवनारम्भ काल में पाई जाने वाली नकारात्मक अभिवृत्तियों का स्थान विधानात्मक अभिवृत्तियाँ लेने लगती हैं।
4. नवकिशोरों में अधिक चुनाव करने की व बाल्यवस्था की अपेक्षा कम मित्र बनाने की प्रवृत्ति रहती है। किशोरों के समूह बड़े व ढ़ीले–ढ़ाले तथा किशोरियों के छोटे एवं ठोस होते हैं।
5. नवकिशोरों के सबसे घनिष्ठ और सबसे अच्छे मित्र उनके सखा होते हैं। सखा प्रायः समान लिंग के होते हैं जिनकी रुचियाँ व योग्यताएँ समान होती हैं। तीन या चार घनिष्ट मित्र मिलकर छोटे–छोटे अंतरंग समूह – मंडली बनाते हैं। बड़े किशोरों के सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र कम होते हैं तथा वे अपना अधिकांश समय उन्हीं के साथ बिताते हैं।
6. किशोरों का सबसे बड़ा समूह भीड़ होता है। यह कई मंडलियो के मेल से बनता है।
7. कुछ किशोरों का संबंध भीड़ से नहीं होता व न ही उनके घनिष्ठ मित्र होते हैं। ऐसे किशोरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल, चर्च व सामाजिक संस्थाएँ युवक समूह स्थापित करती हैं।
8. पूर्व किशोरावस्था के अंत तक नायक–पूजा, प्यार व दीवानेपन की जगह रुमानी आसक्ति आ जाती है। फलतः बड़े किशोरों की सामुहिक क्रियाकलापों में रुचि समाप्त हो जाती है तथा वह अपने साथी के साथ रहना अधिक पसंद करता है।
9. नवययुवक सुखद और प्रसन्न व्यक्तित्व, स्वच्छता, विश्वसनीयता, दूसरों का ध्यान रखने के गुण व अच्छी आकृति वाली लड़कियों को अधिक महत्व देते हैं। जबकि लड़कियाँ अच्छे तौर तरीकों वाले, स्वच्छ रहने वाले, आकर्षक व उपयुक्त कपड़े पहनने वाले निर्भीक एवं वाक्पटु नवयुवकों को पसन्द करती हैं।
10. बाल्यावस्था में लैंगिक रुचियाँ अधिकतर शारीरिक अंतरों पर केन्द्रित होती हैं। जैसे–जैसे यौवनारम्भ के समय लैंगिक क्षमताओं का विकास होता है वैसे–वैसे किशोर की विषमलिंगियों के प्रति रुचि का स्वरूप भी बदल जाता है।
11. नेता बनने के लिए किशोर के अन्दर ऐसे गुण होने चाहिए जो समूह के सदस्यों के गुणों से श्रेष्ठ हों और उनके द्वारा सराहे जाते हों। 14–15 वर्ष की आयु तक लड़कियाँ नेता के रूप में लड़के को चुनना पसंद करती हैं जबकि लड़के अपने नेता के रूप में लड़के को ही चुनते हैं।
12. अलग–अलग किशोरों को सामाजिक स्वीकार्यता अलग–अलग मिलती है। उच्च प्रतिष्ठित किशोर को स्वीकारण अधिक मिलता है, कम प्रतिष्ठित किशोर को कम एवं एकाकी किशोर को सामाजिक

स्वीकरण बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है।

13. किशोरावस्था की समाप्ति तक किशोर नई परिस्थितियों को सफलता के साथ संभालने के लिये सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं।

14. किशोरावस्था में होने वाला सामाजिक विकास यदि व्यवस्थित रूप से होता है तभी भविष्य में अच्छे समाज का निर्माण संभव है।

15. किशोर समाज में सम्मान तभी प्राप्त कर सकता है जब उसका व्यवहार समाज के आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप हो तथा साथ ही साथ उसका व्यवहार भी समायोजित हो।

16. किशोरो में अर्न्तव्यैक्तिक कौशल के लिये उनमें जिम्मेदारियों को स्वीकारने, दूसरो के लिये सोचने व उनको ध्यान से सुनने, आलोचना व शिकायत न करने, लोगों को उनके नज़रिये से समझने, धीरज रखने, दूसरों में कमियाँ होने के बावजूद उन्हें स्वीकार करने, खुले दिमाग से स्थितियों को समझने और सही अर्थ निकालने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है।

अभ्यासार्थ प्रश्न :

1. निम्न प्रश्नों के सही उत्तर चुनें :

(i) किशोरों के सबसे घनिष्ठ मित्र होते हैं :

(अ) माता–पिता (ब) सखा

(स) पड़ौसी (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

(ii) नवकिशोरों का व्यवहार यौवनारम्भ काल की अपेक्षा होता है :

(अ) बातूनी (ब) कोलाहलपूर्ण

(स) बेधड़क (द) मर्यादित

(iii) किशोरों का सबसे बड़ा समूह कहलाता है

(अ) युवक समूह (ब) मंडली

(स) भीड़ (द) सखा

(iv) हमारी संस्कृति में जीवन साथी के चुनाव का विशेषाधिकार होता है

(अ) युवक (ब) युवती

(स) माता–पिता (द) अ तथा स

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये :

(i) बालक का ..... विकास शैशवावस्था से प्रारम्भ होकर सम्पूर्ण बाल्यावस्था तक चलता रहता है एवं यौवनारम्भ में अस्थाई रूप से रुक जाता है।

(ii) उत्तर किशोरावस्था में मित्रों की ..... का कम महत्त्व होता है व उनके ..... होने का अधिक।

(iii) किशोरावस्था के अंत तक लड़के और लड़कियाँ दोनों ही ..... मित्रों के साथ अधिक समय बिताने लगते हैं।

(iv) चौदह वर्ष की आयु तक लड़कियाँ नेता के रूप में ..... को चुनना पसन्द करती हैं।

(v) नवकिशोर में यौवनारम्भ काल में पाई जाने वाली नकारात्मक अभिवृत्तियों का स्थान ..... अभिवृत्तियाँ लेने लगती हैं।

(vi) ..... समूह एकाकी प्रवृत्ति वाले किशोरों को सामाजिक जीवन बिताने का अवसर प्रदान करते हैं।

(vii) नवयुवक ..... और ..... व्यक्तित्व वाली लड़कियाँ पसन्द करते हैं।

3. निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइये।

   (अ) समूह निर्माण (ब) नेता

   (स) सामाजिक स्वीकार्यता (द) मण्डली

4. मित्र के रूप में किशोर किन व्यक्तियों को अपनाते हैं?

5. किशोरों में सामाजिक व्यवहार का विकास किस प्रकार होता है?

6. एक किशोर में सामाजिक विकास क्यों अनिवार्य है? समझाइये।

7. अर्न्तवैयक्तिक कौशल को स्वयं के परिपेक्ष में समझाइये।

उत्तरमाला :

1. (i) ब (ii) द (iii) स (iv) द

2. (i) सामाजिक (ii) संख्या, उपयुक्त (iii) विषमलिंगीय (iv) लड़कों (v) विधानात्मक (vi) संगठित (vii) सुखद, प्रसन्न